83/2016
B.J.D. [illegible] / सूरजनाथ
97 [illegible]

[illegible] [illegible]

तारीख हुकम	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
1.2.17	पत्रावली पेश हुई। वकील निगरानीकार व विवादित प्लॉट के क्रेता की ओर से उनके वकील उपस्थित। अधिनस्थ न्यायालय का वांछित रेकार्ड प्राप्त हो चुका है। वकील क्रेता ने प्रारंभिक एतराज दर्ज करवाते हुए कथन किया कि निगरानीकार द्वारा मूल व्यक्ति के विरूद्व निगरानी प्रस्तुत की गई है। अतः निगरानी पोषणीय नहीं होने से ही निरस्त योग्य है। उनका कथन है कि निगरानी दिनांक 08.11.2016 को पेश की गई है जबकि अप्रार्थी श्री सूरजनाथ की दिनांक 30.05.2014 को ही मृत्यु हो चुकी थी। अतः निगरानी निरस्त की जावे। वकील क्रेता द्वारा प्रस्तुत तर्कों का विरोध करते हुए वकील निगरानीकार ने कथन किया कि यदि अप्रार्थी की मृत्यु हो चुकी है तो ऐसी स्थिति में आदेश 22 नियम 3, 4 व 9 सी.पी.सी. का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर मृतक के विधिक वारिसान को रेकार्ड पर लिया जाकर प्रकरण को मेरिट के आधार पर निर्णित किया जा सकता हैं। जवाबुलजवाब में वकील क्रेता ने कथन किया कि आदेश 22 नियम 3, 4 व 9 सी.पी.सी. के प्रावधान इस प्रकरण पर चस्पा नहीं होते है। अपने कथन के समर्थन में उन्होंने हमारा ध्यान आर.आर.डी. 1992 पेज 99 पर माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर द्वारा प्रतिपादित न्यायिक दृष्टांत की ओर आकर्षित करते हुए अन्त में कथन किया कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र विधि अनुसार एविनिर्शियों वाइड़ होने से निरस्त किया जावे। हमने उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत बहस पर ध्यानपूर्वक मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने से पूर्व ही अप्रार्थी की मृत्यु हो चुकी थी। मृत व्यक्ति के विरूद्व किसी भी प्रकार का वाद/प्रार्थना पत्र संधारण योग्य नहीं है। इस संबंध में माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर द्वारा अनेक न्यायिक दृष्टांत प्रतिपादित किये गये है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी निरस्त की जाकर उन्हें निर्देशित किया जाता है कि वे मृतक के जायन्दा विधिक वारिसान को पक्षकार बनाने के साथ ही विवादित प्लॉट के क्रेता को पक्षकार बनाते हुए नये सिरे से 90 दिन में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने हेतु स्वतंत्र है। पत्रावली नम्बर से कम होकर संग्रह भण्डार हो। (किशोर कुमार) अपर कलक्टर, अजमेर	[illegible] ([illegible] खान) [illegible]

Scanned by CamScanner